महाराष्ट्र राज्य

बनाम

सीताराम पोपट वेताल और अन्य

23 अगस्त, 2004

[अरिजित पासायत और सी.के. ठक्कर जेजे]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

जमानत दिया जाना- उच्च न्यायालय द्वारा राजनैतिक रंजिश के चलते मिथ्या संलिप्त किया जाना मानते हुए अभियुक्तगण को जमानत दे दी गई- अपील-निर्णय-गंभीर प्रकृति के अपराधों में जमानत दिये जोने से पूर्व न्यायालय को स्वंय को साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना उजागर नहीं हैः- हालांकि गुणावगुण पर निश्चायक मत देना आवश्यक नहीं हैः- हालांकि अभियुक्त का पूर्व आपराधिक आचरण जमानत दिये जाने हेतु निर्णायक प्रश्न नहीं है परंतु उसकी सूसंगतता पूर्णतः नकारी नहीं जा सकती है। उच्च न्यायायलय द्वारा शस्त्रों की बरामदगी/शिनाख्तगी परेड में अभियुक्तगण की पहचान/पूर्व आपराधिक आचरण के तथ्यों की अनदेखी जमानत देने से पूर्व की गई है। उच्च न्यायालय का जमानत दिये जाने का निष्कर्ष बिना समर्थित सामग्री

के केवल संदेह के आधार पर दिया गया होने से न्यायोचित नहीं- अतः उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया।

उत्तरदाताओं ने कथित तौर पर मृतक पर हमला किया, जिसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उत्तरदाताओं के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया और पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया। उत्तरदाताओं ने जमानत याचिकायें दायर की। उच्च न्यायालय ने उन्हें इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण गलत तरीके से फंसाया गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय ने अपराधों की गंभीरता को समझे बिना जमानत दे दी। जमानत देने के बाद से अभियुक्तों की गंभीर अपराधों में लिप्तता रही है और वे न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

अपील को मंजूर करते हुए न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया।

1.1 जमानत देते समय, अदालतों को आदेश में, प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारणों का संकेत देना होता है कि जमानत क्यों दी जा रही थी विशेष रूप से जहां किसी अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का

आरोप लगाया गया था। जमानत के आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालयों के लिए जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक हैः

1. आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता तथा सहायक साक्ष्य की प्रकृति;

2. गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका;

3. आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

ऐसे कारणों के उल्लेख के बिना कोई भी आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये दिया जाना प्रकट करता है। [699- जी-एच; 700-ए-बी]

संदर्भित- राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य [2002] 3 एससीसी 598; पूरन और अन्य बनाम रामबिलास और अन्य [2001] 6 एस. सी. सी. 338 और कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और अन्य जे. टी. (2004) 3 एस. सी. 442

1.2 हालाँकि, जमानत आवेदन पर विचार करने पर न्यायालय से पक्षों द्वारा आग्रह किए गए बिंदुओं के संबंध में कोई निर्णायक निष्कर्ष निकलने की उम्मीद नहीं है, फिर भी कारण बताना गुण या दोष पर चर्चा

करने से अलग है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जमानत देने के प्रक्रम पर साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जमानत देते समय प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही है, कुछ कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। [700-सी-डी]

1.3 उच्च न्यायालय ने हथियारों की बरामदगी और परीक्षण पहचान परेड में पहचान के तथ्य को हल्के से खारिज कर दिया है। उसका यह निष्कर्ष कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का दोहरा प्रभाव होता है, अनुमानों पर आधारित था, उसके पास यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा मामला थोपा गया था।इसके अलावा, वर्तमान उत्तरदाताओं की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देने के बावजूद उन्हें इस आधार पर हल्के से नजरअंदाज कर दिया गया कि उनका हाल का अतीत नहीं है।

हालाँकि आपराधिक पृष्ठभूमि हमेशा इस सवाल का निर्धारण नहीं करती है कि जमानत दी जानी है या नहीं, फिर भी उनकी प्रासंगिकता को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है इसलिए उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है। [700 ई-एफ-जी]

1.4 यदि अभियुक्त निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो विचारण न्यायालय विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। [700- एफ]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 921/2004

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रार्थना पत्र संख्या 411/2003 में निर्णय आदेश दिनांकित 25.02.2003 से।

रवींद्र केशवराव अदसुरे, अपीलार्थी की और से।

शिवाजी एम. जाधव, उत्तरदाताओं की और से।

अरिजीत पासायत, जे.: अनुमति दी गई।

महाराष्ट्र राज्य द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उत्तरदाताओं को जमानत प्रदान करने के आदेश को चुनौति दी है (जिसे इसके बाद 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

अपील के निस्तारण हेतु तथ्य इस प्रकार हैं:

दिनांक 20.11.2000 को हनुमंत विट्ठल चौधरी, (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) की कई लोगों के द्वारा किये हमले के कारण हत्या हो गई। उत्तरदाताओं सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ प्रकिया प्रारंभ की गई।

हालाँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उन्हें विशेष रूप से आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन कथित तौर पर इस आधार पर कि वे फरार हो गए थे, उन्हें क्रमशः 3.5.2002 और 20.5.2002 तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद, परीक्षण पहचान परेड आयोजित की गई जहां उनकी पहचान की गई। दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों का संकेत देते हुये आरोप पत्र दायर किया गया है।'). जबकि मामला लंबित था, उत्तरदाताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसने आक्षेपित फैसले के अनुसार जमानत के लिए प्रार्थना को मुख्य रूप से इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। हालांकि दोनो की पूर्व में आपराधिक पृष्ठभूमि रही है परन्तु उक्त प्रकरण 1991, 1993 और 1996 के थे और और हाल के दिनों के नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने महसूस किया कि यद्यपि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का दोहरा प्रभाव होता है, आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने दलील दी थी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। हालांकि आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि जमानत के लिए आवेदकों और राज्य द्वारा क्या रुख अपनाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्ति ने दलील दी कि एक अंधेरी रात में कथित घटना हुई और जब्त किए गए हथियारों पर कोई खून के धब्बे नहीं पाए गए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। ऐसा प्रतीत

होता है कि राज्य ने यह तर्क दिया है कि आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और आरोपी व्यक्ति अतीत में गंभीर अपराधों में शामिल थे। दुर्भाग्य से, आदेश इन कारकों को भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता है।

अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने व्यावहारिक रूप से गैर-तर्क संगत आदेश द्वारा अपराधों की गंभीरता और आपराधिक पृष्ठभूमि का विवेचन किए बिना दे दी है। यह इंगित किया गया कि बाद में भी उत्तरदाता आईपीसी की धारा 302, 364, 201 के साथ पठित धारा 34 के तहत अपराध और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में संबोधित किया जाएगा) की धारा 3 (1) (4) के तहत एक मामले में शामिल थे। आगे यह भी बताया गया कि आरोपियों में से एक सीताराम वेताल नियमित रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हो रहा था और पिछली तीन तारीखों से वह अदालत में पेश नहीं हुआ था।

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कहा कि जमानत देने का आदेश बहुत पहले पारित किया गया था और केवल इसलिए कि कुछ आरोप लगाए गए थे जो आरोपी को दोषी साबित नहीं करते क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठे मामले थोपे गए थे और इसलिए, बाद में सामने आए मामले की कोई प्रासंगिकता नही।

आदेश में यह बताना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही है, खासकर जहां किसी आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालतों के लिए जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है, वे हैं:

1. आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता तथा सहायक साक्ष्य की प्रकृति;

2. गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका

3. आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।

ऐसे कारणों की व्याख्या करने वाला कोई भी आदेश दिमाग के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है जैसा कि इस न्यायालय ने राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य, [2002] 3 एससीसी 598, पूरन आदि बनाम रामबिलास और अन्य मामले में नोट किया था। [2000] 6 एससीसी 388 और कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एवं अन्य, जेटी (2004) 3 एससी 442 में।

हालाँकि, जमानत आवेदन पर विचार करने पर न्यायालय से पक्षों द्वारा आग्रह किए गए बिंदुओं के संबंध में कोई निर्णायक निष्कर्ष निकलने की उम्मीद नहीं है, फिर भी कारण बताना गुण या दोष पर चर्चा करने से अलग है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जमानत देने के प्रक्रम पर साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जमानत देते समय प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही है, कुछ कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

उच्च न्यायालय ने हथियारों की बरामदगी और परीक्षण पहचान परेड में पहचान के तथ्य को हल्के से खारिज कर दिया है। उसका यह निष्कर्ष कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का दोहरा प्रभाव होता है, अनुमानों पर आधारित था, उसके पास यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा मामला थोपा गया था। इसके अलावा, वर्तमान उत्तरदाताओं की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देने के बावजूद उन्हें इस आधार पर हल्के से नजरअंदाज कर दिया गया कि उनका हाल का अतीत नहीं है। हालाँकि आपराधिक पृष्ठभूमि हमेशा इस सवाल का निर्धारण नहीं करती है कि जमानत दी जानी है या नहीं, फिर भी उनकी प्रासंगिकता को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दलील दी गई कि आरोपी सीताराम वेताल निर्धारित तिथि पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे

हैं। यदि वास्तव में ऐसा है, तो विचारण न्यायालय ऐसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जो कानून में लेने के लिए उपलब्ध है।

उपरोक्त दृष्टिकोण से देखने पर प्रतिवादियों को जमानत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार, उत्तरदाताओं को जमानत देने का उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेंन्द्र कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।